सं०सं०–1/व०आ०सं०अ०–01/2018– ८६(1)७०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल,
पावापुरी, नालन्दा।

पटना, दिनांक– ७ / ०१ / 2019

विषयः– **वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा को विपत्र कोड–20–2210011100021 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त विभिन्न मदों में कुल रु० 6,85,00,000/–(रुपये छः करोड़ पचासी लाख) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा को विपत्र कोड–20–2210011100021 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त विभिन्न मदों में कुल रु० 6,85,00,000/–(रुपये छः करोड़ पचासी लाख) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नरुपेण दी जाती है–

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0021.13.01 कार्यालय व्यय	2000000	2500000	4500000	2000000	2500000	4500000	0
0021.13.10 भाड़े की गाडी का भुगतान	600000	1000000	1600000	600000	1000000	1600000	0
0021.21.03 आहार/ पथ्य	5000000	5000000	10000000	5000000	5000000	10000000	0
0021.28.02 संविदा सेवायें	50000000	20000000	70000000	50000000	20000000	70000000	0
0021.52.01 मशीनें एवं उपस्कर– कार्यालय	20000000	40000000	60000000	20000000	40000000	60000000	0
कुल योग–	**77600000**	**68500000**	**146100000**	**77600000**	**68500000**	**146100000**	**0**

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक–17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक–12.04.06, 2938/वि०(2), दिनांक–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

क्रमशः

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0021–वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेज अस्पताल, पावापुरी, विपत्र कोड–20–2210011100021 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

8. इस आवंटनादेश द्वारा 0021.52.01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मति एवं रख–रखाव के लिए भी राशि शामिल है।

9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

10. इस राशि की निकासी कोषागार, राजगीर (नालन्दा) से की जाएगी।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/- 5/1/19

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/व0आ0सं0अ0–01/2018– 86(1)स्वा0 /स्वा0, पटना, दिनांक– 7 /01 /2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, राजगीर (नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 5/1/19

सरकार के विशेष सचिव